

मुकदमा इब्तादाई

(ओ.20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, टोडारायसिंह जिला- केकडी (राज.) मुकाम - टोडारायसिंह बइजलाश श्री शिवराज मीणा, आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी, टोडारायसिंह जिला-केकडी (राज.)

उनवान

1. रुघनाथसिंह पुत्र खुमाण सिंह जाति राजपूत निवासी क्यारिया।

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये :-


- (1) श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय, टोंक।
- (2) तहसीलदार/नायब तहसीलदार उपतहसील बरवास।
- (3) अतिरिक्त कलेक्टर एवं भूमि अवाप्ति अधिकारी बीसलपुर विस्थापित परियोजना अधिकारी देवली।

दावा बाबत घोषणा खातेदारी, दुरुस्ती इन्द्राज रिकार्ड सीट व स्थायी निषेधाज्ञा
मुकदमा नम्बर :- 166/2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल है. रुबरु शिवराज मीणा आर.ए.एस. व हाजिरी श्री सतीश जैन एडवोकेट मिजानिब मुदई रुबरु श्री रवि कुमार जैन एडवोकेट एवं पेरोकार सरकार वाद वादी मुताबिक जवाब दावों, लीगल नोटिस अन्तर्गत 80 सीपीसी के जवाब व नक्शा प्रदर्श 19 के अनुसार डिक्री किया जाकर ग्राम क्यारिया की नक्शा सीट में नक्शा प्रदर्श 19 में खसरा नम्बर 53 में नारंगी रंग से दर्शाये भाग रकबा 0.89 को वादी के खातेदारी से कम कर नारंगी रंग से दर्शित स्थान तक खसरा नम्बर 51/1 की तरमीम दुरुस्त किये जाने तथा उक्त नक्शा प्रदर्श 19 में खसरा नम्बर 51/1 में नीले रंग से दर्शाये गये भाग रकबा 0.89 है0 का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित कर नीले रंग से दर्शाये गये स्थान तक खसरा नम्बर 53 की तरमीम दुरुस्त किये जाने के आदेश किये जाते है। नक्शा प्रदर्श 19 डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। खर्चा फरिक्तेन अपना-अपना वहन करेंगे।

निज.....मुबलिंग.....बाबत.....खर्चा इस मुकदमे के मय सूद
बशरह.....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक.....अदा करे।
बसबत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख.....09.....माह.....05.....सन 2024 को जारी की गई।

मोहर न्यायालय


(शिवराज मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
टोडारायसिंह(केकडी)

मुदई	रूपये	पैसै	मुदई	रूपये	पैसै
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प बकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प बजह सबूत			महन्ताना बकील		
महन्ताना बकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्म नामा		
बाबत इजराय हुक्म नामा			बाबत इजराय हुक्म नामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

